फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

थी : श्रीमती खेमीबाई — विपक्षी : श्री बंशीलाल

स्म मुकदमा – 53,188 रा.का. अधिनियम — पत्रावली संख्या : 231/18

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनार्थ जारी की गई

दिनांक : 26.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बंटवाडा किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश कर हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण के तर्क सुने। वाद वर्णित आराजीयात सामलाती होकर वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हैं। भूमि सामलाती होने से वादी को अपने हिस्से की भूमि का विकास करने में कठिनाई आ रही हैं। प्रतिवादीगण द्वारा हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा किया जाने का निवेदन किया, जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा किये जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः वादी व प्रतिवादीगण दोनो ही हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा कराने हेतु सहमत हैं। अतः वादी व प्रतिवादीगण दोनों ही हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा कराये जाने पर सहमत होने से वादी का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार कर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता हैं कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा की आराजी न. 54, 57 से 60, 65, 66, 67, 69, 70, 71 किता 11 रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 46, 53, 55, 56, 68 किता 5 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 50, 51, 52, 61 किता 4 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित पक्षकारान के मध्य हिस्से एवं कब्जें के आधार पर बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/– रूपया कमिश्नर शुल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियों में पेश किया जावें। रा. का.अधि. में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावें। फीस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें। प्रारम्भिक डिक्री पर्चा जारी हो। भूमि की नई नाप (हेक्टेयर) के [illegible] तैयार कर पेश करें।

पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर, पत्रावली दिनांक 07.04.2021 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 13:12:39 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

7/5/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट, प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक...30/6/21.....को पेश हो।

30/6/21

पत्रावली आज पेश हुई। कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए बार एसोसिएशन द्वारा अतिआवश्यक प्रकृति के पत्रावली में ही सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र देने के के कारण आज इस पत्रावली में सुनवाई नही हो सकी। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक.....को पेश हो।

29/9/21

29/9/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक.....को पेश हो।

27/10/21

27/10/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. ...ग/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली ...ही पालना में दिनांक...02/11/21.....को पेश हो।

02/11/21

पत्रावली तलब की गई। 'ग्रा...के संग अभियान-2021' आ...या जाने से पत्रावली में अधिवक्ता ...न को सूचित किया जाकर पत्रावली ...म्प-...जेवाणा। दिनांक...09/11/21..को पेश हो।

Not press
09/11/21

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली
FT

09/11/2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021 कैम्प जेवाणा में पेश हुई। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वादीगण स्वयं उपस्थित होकर भी प्रकरण में Not press किया। अतः वादीयाँ प्रकरण में कोई कार्यवाही चाहते से वादीयों का वाद इसी स्तर पर डिप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 13:12:39 IST
Reason: SelfAttested